न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 02 / 2024

अपीलकर्ता

1 वालीदेवी पुत्री देराजराम पत्नी केसाराम जाति जाट निवासी धन्ने का तला हाल जांदूओं की नाडी, हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

उत्तरदातागण

1 ग्राम पंचायत बाड़मेर शिवकर जरिये सरपंच 2 रावताराम पुत्र देराजराम निवासी धन्ने का तला शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण 3 अणदू पुत्री देराजराम पत्नी उगराराम निवासी धन्ने का तला शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण हाल निवासी लूखों का तला गंगासरा 4 खेतु पुत्री देराजराम निवासी निवासी धन्ने का तला शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण हाल निवासी एड आगरसिंह तहसील सिणधरी 5 गोगी पुत्री देराजराम पत्नी धर्माराम निवासी निवासी धन्ने का तला शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण हाल निवासी रामपुरा गरल तहसील बाड़मेर 6 पन्नाराम पुत्र चुताराराम निवासी निवासी धन्ने का तला शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :— 1 श्री वीरमाराम चौधरी, वकील अपीलकर्ता।

आदेश

दिनांक 24.01.2025

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा देवाणियों की ढाणी वर्तमान ग्राम दानपुरा के खेत खसरा संख्या 1073 / 805 रकबा 39.15 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में अपीलकर्ता व उतरदाता संख्या 02 से 05 के पिता स्वत्र देराजराम पुत्र भोमाराम के नाम खातेदारी की आई हुई थी। उनके विधिक वारिशान अपीलकर्ता व उतरदाता संख्या 02 से 05 है। उनके देहान्त पर विरासतन का नामान्तकरण संख्या 64 उतरदाता संख्या 01 द्वारा बिना विधिक वारिशान की जाचं कर उतरदाता संख्या 02 से सांठगांठ कर उतरदाता संख्या 02 व पन्नीदेवी के नाम से गलत रूप से भरवा दिया जबकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 06 के तहत अपीलकर्ता व उतदाता संख्या 02 से 05 देराजराम पुत्र भेराराम के विधिक वारिशान है। अपीलकर्ता व उतरतदाता संख्या 02 से 05 के नाम नामान्तकरण पारित किया जाना चाहिए था। अपीलकर्ता का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। अपीलकककर्ता द्वारा सर्वप्रथम पटवारी हल्का शिवकर से अपीलाधीन भूमि के खातेदारी रेकर्ड की जानकारी ली तब दिनांक 14.12.2023 को ज्ञात हुआ कि अपीलकर्ता व उतरदाता संख्या 03 से 05 के नाम खातेदारी दर्ज नही है तब अपने अधिवक्ता द्वारा अपीलकर्ता द्वारा रेकर्ड की जांच करवाने पर ज्ञात हुआ कि नामान्तकरण संख्या 64 खोलते समय उतरदाता संख्या 02 व पन्नीदेवी के साथ अपीलकर्ता के नाम अंकित नहीं हुआ जो विधि द्वारा वर्जित है। देराजराम के फौत होने पर उसकी फौतेगी का नामान्तकरण संख्या 64 को स्वीकृत कर भरा गया था जो उतरदाता संख्या 02 ने उतरदाता 01 से मिलकर मृतक देराजराम के वारिश मात्र उतरदाता संख्या 02 व माता पन्नीदेवी के नाम पारित करवा लिया तथा पटवारी हल्का ने नामान्तकरण की कार्यवाही खोलेते समय अपीलान्ट का नाम साथ में अंकित नही किया जबकि मृतक देराजराम अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 02 से 05 के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.02.25 10:03:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

थे। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश व अनपढ़ महिला होने से उक्त नामान्तकरण का ज्ञान नही हुआ। अपीलान्ट ने राजस्व रेकर्ड की नकले मांगी तब अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण संख्या 64 को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। अपीलान्ट के पिता देराजराम का स्वर्गवास सन् 2005 को हो गया तथा पन्नीदेवी का देहान्त हो चुका है। देराजराम की फौतगी का नामान्तकरण संख्या 64 पटवारी हल्का द्वारा जो नामान्तकरण खोला गया जो अशुद्ध है, जिसे निरस्त कर शुद्ध नामान्तकरण पारित किये जाने का निवेदन किया।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। उतरदातागण ईकतरफा।

वकील अपीलकर्ता की बहस सुनी गई। वकील अपीलकर्ता द्वारा म्याद के बिन्दु पर बहस करते हुए अवगत करवाया कि अपीलककर्ता द्वारा सर्वप्रथम पटवारी हल्का षिवकर से अपीलाधीन भूमि के खातेदारी रेकर्ड की जानकारी ली तब दिनांक 14.12.2023 को ज्ञात हुआ कि अपीलकर्ता व उतरदाता संख्या 03 से 05 के नाम खातेदारी में अंकित नही है तब अपने अधिवक्ता द्वारा अपीलकर्ता द्वारा रेकर्ड की जांच करवाने पर ज्ञात हुआ कि नामान्तकरण संख्या 64 खोलते समय उतरदाता संख्या 02 व पन्नीदेवी के साथ अपीलकर्ता के नाम अंकित नही हुआ जो विधि द्वारा वर्जित है। अपीलान्ट को दिनांक 14.12.2023 को नामान्तकरण की नकले प्राप्त करने पर उक्त गलत फौतेदगी नामान्तंकरण का ज्ञान हुआ। जानकारी प्राप्त होते ही उसके द्वारा अपील की गई है। अपील अन्दर म्याद सुमार कर आदेश पारित करने का निवेदन किया।

वकील अपीलकर्ता को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी गंभीरता से अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर हम इस निस्कर्ष पर पहुचे है कि अपीलाधीन भूमि में स्वर्गीय देराजराम की फौतगी पर पारित नामान्तकरण संख्या 64 दिनांक 20.06.2006 में स्व. देराजराम पुत्र भोमा के विधिक वारिशान की जाचं किये बिना उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारित किया गया है। उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर नये सिरे से नामान्तकरण पारित किये जाने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर मौजा देवाणियों की ढाणी वर्तमान ग्राम दानपुरा पटवार हल्का शिवकर तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 1073/805 रकबा 6.4345 हैक्टेयर भूमि में पारित नामान्तकरण संख्या 64 दिनांक 20.06.2006 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि देराजराम पुत्र भोमाराम के विधिक वारिशान की जाच करते हुए बाद जांच नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित कर राजस्व अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.02.25 10:03:54 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 24.01.2025 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर